International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 8.141
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol. 12 No.4 Mar-Apr 2025

महिला सशक्तिकरण नवीनतम सुधार

डॉ.जितेंद्र सिंह
सह आचार्य समाजशास्त्र,
अमरचंद राजकुमारी बरडिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय छबड़ा जिला बारां राजस्थान
Corresponding Author: डॉ. जितेंद्र सिंह
DOI-10.5281/zenodo.15095224

सारांश:-

महिला हिंसा के विरुद्ध मुकाबला करने बाल विवाह को समाप्त करना राजनीति और आर्थिक सशक्तिकरण को बढावा देना यौन व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करना भूमि अधिकारों की रक्षा करना और लिंग उत्तरदायी गणन योजना लागू करना लेंगिक समानता प्राप्त करने कि दिशा में महत्वपूर्ण कदम है ! सरकारों नागरिको समाज और व्यक्तियों को शामिल करके सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही हम महिलओं के लिए अधिक न्यायसंगत और समावेशी दुनिया बना सकते है !

प्रस्तावना:

किसी भी समाजका वास्तविक विकास कमी संभव है जब उस समाज की महिलाओं को सशक्त किया जाये और उन्हें सम्मान अधिकार व सुविधाएप्राप्त हो। जब तक महिलाएं समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं होता तब तक वहसमाज में किसी भी रूप में विकसित और सम्यनहीं कहा जा सकता है। समाज में महिलाओं की भूमिका की केंद्रीता को देखते हुऐजब यह स्वीकार किया जाने लगा है महिला को सशक्त बनाया जाता है तो पूरी पीढ़ी सशक्त होती है। महिला आयोग महिलाओं के लिए भारतीय संविधान के तहत उपलब्ध सभी कानूनी अधिकारों प्रतिबंधकताओं गारंटी और सुरक्षा के उपायों को वास्तविकता में बदलने का प्रयास करता है। वर्तमान सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और प्रयास लगातार जारी है। इस प्रतिबंधता के संदर्भ मैं कई कल्याणकारीयोजनाओं के सफल क्रियान्वयन साथ कानून में संशोधन और नवीन अधिनियम का पारित होना है जिन्होंने महिलाओं की प्रगति का मार्ग प्रशास्त्र क्या है।

1. लैंगिक असमानता :-

लैंगिक समानता दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है इसके लिए कई सामाजिक ववैज्ञानिक प्रावधानों की आवश्यकता है। सहायता सेवाओं के माध्यम से घरेलू हिसा इसके कई रूप देखने को मिलते हैं। के लिए सहायता सेवाओं के माध्यम से घरेलू हिसा से निपटने के लिए कहीं प्रयास किए गए हैं।हेल्पलाइन सुरक्षित करो और परामर्श कार्यक्रम जैसी पहल सृष्टि ग्रस्त महिलाओं को सहायता प्रदान कर रही है हिस्सा चक्र को तोड़ने में सहायता करती है।

2. बाल विवाह की समाप्ति :-

बाल विवाह एक बड़ी सामाजिक कृति व समस्या है इससे लड़कियों का बचपन शिक्षा और भविष्य का उज्वल पान छीन लेती है विवाह के लिए न्यूनतम आयु का निर्धारण लड़कियों की शिक्षा में वृद्धि करना कब आओ में विवाह के दुष्परिणामों को बताना सामुदायिक सहभागिता आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम लड़कियों और उनके परिवारों को सूचित विकल्प चुनने और अंतर पीढ़ीगतगरीबी के चक्र को तोड़ने के लिए मजबूत बना सकते हैं।

3. राजनीतिक सशक्तिकरण:-

राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व आज भी अल्प है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकारों ने कोटा जैसी सकारात्मक नीतियों को लागू किया है। राजनीतिक दलों को महिला उम्मीदवारों को नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना नेतृत्व भी प्रशिक्षण प्रदान करना स्थानीय निकायों से लेकर संसद तक प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।

4. उल्लेखनीय अधिनियम:-

पिछले वर्षों में भारत में महिला अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए हैं जो उल्लेखनीय है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 (तत्काल तीन तलाक को अपराध घोषित करना है।) बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण

(संशोधन) अधिनियम 2019 गव का चिकित्सीयसमापन (संशोधन) अधिनियम 2021 सहायकप्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम 2020 ट्रांसजेंडर (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 आदि।

5. भूमि अधिकार :-

महिलाओं के भूमि स्वामित्व के अधिकारों की रक्षा करना उनके आर्थिक सशक्तिकरण और संपूर्ण कल्याण के लिए भौलिक है राज्य को ऐसा कानून बनाना एवं लागू करना चाहिए जो भूमि संपत्ति अधिकार और विरासत कानून तक सम्मान पहुंची सुनिश्चित करें जो लैंगिक असमानता और गरीबों को कम करने के लिए आवश्यक है।

6. यौन प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार :-

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए व्यापक यो और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कर सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है जहां आवश्यक हो सरकार द्वारा व्यापक यौन शिक्षा परिवार नियोजन सेवाओं और सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश और स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को दूर करने से अनपेक प्रेषित गर्भधारण में कमी आएगी और महिलाओं को अपने शरीर और भविष्य के बारे में जानकारी पूर्ण विकल्प चुनने में सशक्त बनाया जाएगा।

7. आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण:-

नियमित रोजगार से लैंगिक असमानता को दूर किया जा सकता है। समान काम के लिए समानबप्रारंभिकके लिए सरकारों को विशेष ध्यान दिया जानाचाहिए मैं तो तू अवकाश और बाल देखभाल तूने किया स्थापित की जानी चाहिए महिलाओं के लिए भी तो और पौधों की प्रशिक्षण पहुंच होनी चाहिए ।परंपरागत रूप से स्त्रियों को पुरुष प्रधान क्षेत्र में भागीदारी को दीपक जान देना आवश्यक है जिससे लेकिन समानता लाने में सहायता मिलेगी।

8. महत्वपूर्ण योजनाएं:-

महिला सशक्तिकरण में सरकारों द्वारा चलाई गई महत्वपूर्ण कार्य मेल का पत्थर साबित होने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017, महिलाईहाट 2016 उज्ज्वला योजना 2016स्टैंडअप इंडिया 2016 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 आदि महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

9. उपयोगी अधिनियम :-

लैंगिक समानता में वृद्धि एवं सशक्तिकरण में तथा महिला अधिकारों की रक्षा के लिए कानून सामाजिक कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किया जा गया है।

- अपराधी कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 (निरमाया अधिनियम)
- महत्व की लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2019
- मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019
- कार्य स्थल पर महिलाओं का योन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013
- राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा'24x7,' हेल्पलाइन सहायता सिर्फ एक कॉल दूर।
- इन सुधारो ने भारत में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और परंपरागत असमानताओं को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हालांकि एकऐसे समाज के निर्माण की दिशा काम करना जारी रखना महत्वपूर्ण है

कठिन शब्दार्थ :-

1. सशक्त = मजबूत
2. लेंगिक असमानता = शारीरिक आधार पर
3. भेदभाव बाल विवाह = निर्धारित आयु से पहले विवाह
4. महिला अधिनियम = महिलओं की सुरक्षा के लिए कानून
5. राजनीति सशक्तिकरण = शासन के क्षैत्र में महिलओं की भूमिका में वृद्धि आदि

संदर्भ:-

1. सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग
2. महिला आयोग (राष्ट्रीय)
3. www.sje.woman.com